न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 07/19 सन् 2019
आरसीएमएस संख्या 2019/00023

बउनवानी :–1. हनुमान पुत्र प्रहलाद मीना निवासी बोरदा, तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शंकर पुत्र प्रहलाद मीना निवासी बोरदा, तहसील चौथ का बरवाडा
2. दशरथ पुत्र प्रहलाद मीना निवासी बोरदा, तहसील चौथ का बरवाडा
3. द्वारका पुत्री प्रहलाद मीना निवासी बोरदा, तहसील चौथ का बरवाडा
4. तहसीलदार चौथ का बरवाडा, तहसील चौथ का बरवाडा
5. श्रीमान उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे जैरकार प्रकरण दावा सख्या 1/2012 एवं प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी शंकर बनाम हनुमान वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थित : 1.श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक **17.6.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में विचाराधीन दावा सख्या 01/2012 एवं प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी शंकर बनाम हनुमान के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। विपक्षी बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 2.1.2012 को पेश किया है वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र 2.1.2012 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी कर दिये। प्रार्थी उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र की सुनवायी निष्पक्ष रूप से करवाना चाहता है इस कारण उक्त वाद की सुनवायी जिला मुख्यालय पर स्थित किसी भी दीगर न्यायालय में करवायी जावे। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के पालना किये सुनवायी कर रहे है प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी लेने, नकल लेने तथा सुनवायी पर जाने पर विपक्षी संख्या 4 व 5 तथा 1 लगायत 3 के द्वारा मिथ्या तथ्य बताये जाते है। इस प्रकार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रकरण की सुनवायी नही कर पद का दुरूपयोग कर रहे है क्योकि प्रार्थी 65 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जो विगत 7 वर्षो से उक्त प्रकरण की लम्बित कार्यवाही से बहुत ज्यादा परेशान व प्रताडित है तथा पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कतई सम्भावना नही है। अतः उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय में विचाराधीन दावा

डॉ० ए... सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संख्या 01/12 व दर. अस्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी शंकर बनाम हनुमान को अन्य किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो को निराधार व मनगढन्त बताते हुए अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अंकित सभी तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। प्रकरण में प्रतिवादी को दिनांक 24.2.2012 को न्यायालय मे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु दिनांक 24.2.2012 को प्रतिवादी हनुमान बावजूद तामील नोटिस न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है वादी की ओर से आगामी सुनवायी तिथि पर कुछ व्यक्तियों के बयान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से 3 बार अलग–अलग अधिवक्ताओं ने वकालातनामा पेश किये गये अर्थात प्रकरण में प्रतिवादी ने 3 बार अधिवक्ता परिवर्तित किये। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वर्तमान में पत्रावली जवाबुल जवाब हेतु विचाराधीन है। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा जो भी उचित निर्णय पारित किया जावेगा उसमे उनके न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील प्रार्थी की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा से प्राप्त टिप्पणी एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों बाबत वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन मेंऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती हो। किन्तु न्यायहित में प्रार्थी की वयोवृद्वता को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को दिगर न्यायालय को सुनवायी हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार दावा संख्या 01/12 एवं संबंधित दर. अस्थाई निषेधाज्ञा उनदानी शंकर बनाम हनुमान को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है। उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मिसल को दिनांक 11.7.2019 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 11.7.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:32:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: